

अज अदालत

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)

मुकाम

जोधपुर

प्रार्थी

जेठाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
निवासी ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां, पंचायत समिति बनाम
बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां,
जरिये सरपंच।
2. प्रकाश नाहटा पुत्र जसराज,
जाति ओसवाल, निवासी ग्राम
बेलवा खत्रियां, तहसील
बालेसर, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा पंचायत निगरानी

नं.

12

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.04.2022	<p>प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 आबादी भूमि विक्रय विलेख जो दिनांक 20.10.1961 को ग्राम पंचायत बेलवा (वर्तमान ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां) द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। पंचायत निगरानी के साथ प्रार्थना-पत्र बाबत् डिस्पेन्सिविथ करने प्रमाणित प्रति व स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त कर, पत्रावली वास्ते तामिली रिपोर्ट देखने हेतु दिनांक 02.05.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर।</p>	
27-4-22	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26-04-2022 को तलब कले हेतु प्रार्थना पत्र वाले मिलल तलबी का प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गयी प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने दिनांक 26-04-2022 को प्रार्थना पत्र वाले दिहाल करने निगरानी धारिका का पेश कर बतलाया कि निगरानी दर्ज</p>	<p>जेठाराम पंचायत</p>

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

किस मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जेठाराम व अर्पाकी सरव्हां 02 प्रकारा जाहया डे मरुय लोक अदालत की आवना से राजीनामा हो गया है। निगरानीकर्ता उक्त निगरानी प्राधिकार को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उक्त निगरानी प्राधिकार जरिमे विडाल प्रार्थना पत्र निस्तारित करने का आदेश फरमावे।</p> <p>प्रार्थी जेठाराम की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने की।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाऊँ पंचांगत निगरानी जरिमे विडाल खारिज की जाती है। पत्रावली फेराल शुभाह लोक वाखिल फफर हो।</p> <p style="text-align: right;">अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर</p>	